राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 35/2023

भाखरा राम विश्नोई **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3. संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर।
4. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनियाली बाडमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.1.2023
आदेश की दिनांक : 18.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर जे पूनियां, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैः–

अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर स्वामी राउमावि अरनियाली बाडमेर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राउमावि बालूखान की ढाणी बाडमेर में किया गया हे। उनका कथन कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड–III के पद पर वर्ष 1997 में हुई थी। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नत किया गया। आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से 48 किमी दूर स्थानांतरण किया गया। जहां पर आवागमन का कोई साधन सुविधा नहीं है। अपीलार्थी को यात्रा–भत्ता एवं योग काल भी नहीं दिया गया है। उसका स्थानांतरण बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के किया गया है जो स्थानांतरण नीति एवं नियमों के विपरीत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे और आलोच्य आदेश 12.01.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथास्थान रखे जाने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए तथा अपीलार्थी की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसवाड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य